राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/KSP/M/135/2020-KSP

आईबीपीएस के साथ दिनांक 17.11.2021 की सुनवाई का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. श्री हरीदेश कुमार बी., निदेशक, आईबीपीएस

सुनवाई का विस्तृत विवरण:-

1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया क्या आईबीपीएस का रोस्टर रजिस्टर लाये है जिसके जवाब में निदेशक, आईबीपीएस द्वारा बताया गया IBPS submission is that we are not coming under reservation policy. इस मामले से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है that IBPS does not under the definition of State. We are not funded by Central Government or any other body. We are self sufficient. इसकी वजह से हम Constitution Article 12 में नही आते है।
2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि आईबीपीएस प्राइवेट संस्था है या नही यह जानकारी आयोग को शपथ-पत्र पर उपलब्ध कराये।
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि आईबीपीएस सरकार के किसी नियम को नहीं मानता है जिसके जवाब में निदेशक, आईबीपीएस द्वारा बताया गया कि हम सरकार के सभी नियमों का पालन करते है।
4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि भारत सरकार या डीओपीटी या डीएफएस के उस नियम और गाइडलाइन को आयोग को प्रस्तुत करें जिसमें कहा गया है कि ओबीसी का इंटरव्यू यूआर कैटेगरी से अलग से किया जाता है। जिसके जवाब में निदेशक, आईबीपीएस द्वारा बताया गया कि सर ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है वह हमसे गलती हुई है। आयोग द्वारा कहा गया कि कितने वर्षों से आईबीपीएस में ओबीसी का अलग से इंटरव्यू किया जा रहा है वह आयोग को शपथ-पत्र पर लिख कर दीजिये। निदेशक, आईबीपीएस द्वारा आयोग को निम्न जानकारी शपथ-पत्र पर उपलब्ध करायी गयी। "Whether interviewed conducted by IBPS is separately done for OBCs? "It is done in a sequential order for PWD/SC/ST and OBCs and thereafter that for General Candidates continually. There are no separate guidelines from DoPT in this regard to conduct of separately for OBCs. The process which was going on for 7-8 years is now discontinued from the year 2021 on the advice of Finance Ministry, Government of India."
5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि आईबीपीएस में ओबीसी का अलग से इंटरव्यू किया गया है वह भारत सरकार की मंशा के खिलाफ है ऐसे कितने ओबीसी कैंडिडेट को जो ऑन मेरिट पर थे उनको आपने ओबीसी में भेजने का काम किया, वह जानकारी आयोग को उपलब्ध कराये। जिसके जवाब में निदेशक, आईबीपीएस द्वारा बताया गया कि हर राज्य में अलग प्रोसेस होता है। आयोग द्वारा पूछा गया कि जब आईबीपीएस इंटरव्यू कंडक्ट करते होंगे तो उनके मार्कस् आपके पास होते होंगे जिसके जवाब में निदेशक, आईबीपीएस द्वारा बताया गया कि जी सर। आयोग द्वारा पूछा गया

Institute of Banking Personnel Selection IBPS MUMBAI

कि आयोग को बताया जाये कि ओबीसी को 27% के अंदर रखा जायेगा या उनको यूआर कैटेगरी में भी नियुक्त किया जायेगा या ओबीसी का कैंडीडेट अगर ऑन मेरिट में आता है तो क्या वह ऑन मेरिट पर सिलेक्ट होगा या फिर ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्ट होगा वह डाटा आयोग को दिया जाये। जिसके जवाब में निदेशक, आईबीपीएस द्वारा बताया गया कि सर वह ऑन मेरिट पर सिलेक्ट होगा और डाया आयोग को दे दिया जायेगा। आयोग को निदेशक, आईबीपीएस द्वारा शपथ-पत्र पर निम्न जानकारी उपलब्ध करायी गयी।"I solemnly affirm that the interview process for OBCs which are done separate sequentially will have the effect of having the allotment in that category and the data of such candidates would be made available in due course by 18.11.2021 by 5PM".

6. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कहा गया कि आईबीपीएस के द्वारा जितने बैंक रिक्रूटमेंट करते है उनका टेंडर होता है या नामिनेशन के आधार पर लेते हैं, जिसके जवाब में निदेशक, आईबीपीएस द्वारा बताया गया कि हमारे यहा इसके लिये एक बॉडी बनी है और कोई टेंडर नहीं होता है नामिनेशन बेसिस पर यह मिलता है। आयोग द्वारा कहा गया कि इसका नियम आयोग को दिखाया जाये। जिसके जवाब में निदेशक, आईबीपीएस द्वारा बताया गया कि चैक कर के आयोग को जानकारी भिजवा देंगे।
7. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि आईबीपीएस का मुख्यालय के लिये जमीन किसने ली और जगह खरीदने के लिये पैसा कहा से आया जिसके जवाब में निदेशक, आईबीपीएस द्वारा बताया गया कि आईबीपीएस ने जमीन ली और वर्ष 1989 में जगह सस्ती थी लेकिन चैक करना पडेगा Data I can give you. आयोग द्वारा कहा गया कि आईबीपीएस की जमीन के कागज और जमीन की रजिस्ट्री आयोग को उपलब्ध कराइये।
8. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को निदेशक, आईबीपीएस द्वारा शपथ-पत्र पर निम्न जानकारी उपलब्ध करायी गयी। "I affirm that IBPS was carved out of NIBM in the year 1984 and was registered society and later also as a trust." आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या NIBM सरकारी संस्था है जिसके जवाब में निदेशक, आईबीपीएस द्वारा बताया गया कि सरकारी संस्था नहीं है।

सुनवाई सम्पन्न।

(श्री हरीदेश कुमार बी.)
निदेशक,
आईबीपीएस

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग